समक्ष एस. पी. गोयल एवं एस.एस. कांग, जे.जे.

ज्योति राम और अन्य,-अपीलकर्ता।

बनाम

चमन लाल और अन्य, -प्रतिवादी।

1979 के आदेश क्रमांक 536 से प्रथम अपील।

16 जुलाई 1984.

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम (1925 का XXXIX) - धारा 306 - मोटर वाहन अधिनियम (1939 का IV) - धारा 110-ए - दुर्घटना पीड़ित विभिन्न धाराओं के तहत नुकसान का दावा करता है - ऐसे पीड़ित की मुकदमे के दौरान अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है - अधिकार। दावा याचिका जारी रखें- चाहे मृतक के कानूनी प्रतिनिधि जीवित रहें।

माना गया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 306 का वाचन। 1925

इससे पता चलेगा कि व्यक्तिगत पूछताछ के लिए कार्रवाई, कारण-मृत्यु के अभाव में, घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है और कानूनी उत्तराधिकारियों तक जीवित नहीं रहती है। उपरोक्त धारा के प्रावधानों का दायरा और

कहावत "एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना" से पता चलता है कि का दावा

घायल की संपत्ति के नुकसान के कारण होने वाली क्षति उसकी मृत्यु पर कम नहीं होगी और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए के तहत दावा याचिका दायर की जाएगी। 1939 को कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा उन मामलों में जारी रखा जा सकता है जहां मृतक की संपत्ति को नुकसान हुआ है।

(यह मामला एकल न्यायाधीश द्वारा संदर्भित किया गया था

माननीय श्री न्यायमूर्ति एस. पी. गोयल ने डिविजन बेंच को निर्णय हेतु भेजा

25 सितंबर, 1981 को कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न। माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग की खंडपीठ ने अंततः 16 जुलाई, 1984 को मामले का

फैसला किया और मामले को आगे के लिए ट्रिब्यूनल को भेज दिया। कानून के अनुसार कार्यवाही)। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, श्री एस. डी. बजाज के न्यायालय के आदेश से प्रथम अपील। अम्बाला दिनांक 11 जून। 1979 में पांच कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा दायर दावा याचिका के साथ-साथ मृतक द्वारा दायर दावा याचिका को खारिज कर दिया गया।

अशोक कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, डी. डी. बंसल, अधिवक्ता, के साथ

अपीलकर्ता.

प्रतिवादी की ओर से वी. पी. गांधी, वकील।

निर्णय

एस. पी. गोयल, जे.

(1) जनवरी 1 10, 1976 को सुबह लगभग 6.30 बजे कविराज राम

जब वह साइकिल पर अपने क्लिनिक से योगा सेंटर, यमुनानगर जा रहा था, तो रेलवे स्टेशन के पास ट्रक नंबर एचआरए 5129, जिसे गुरवेन्दर सिंह, प्रतिवादी नंबर 2 चला रहा था, ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसे गंभीर शारीरिक चोटें आईं। उन्होंने 16 जुलाई 1976 को रुपये के लिए दावा दायर किया। विभिन्न मदों में 50,000 रुपये का विवरण नीचे दिया गया है: - 1. चिकित्सा बिलों के कारण 1,000 रुपये;

2. 2,000 रु. बीमारी के दौरान विशेष आहार पर खर्च किया जाता है।

3. 3,000 रु. अतिरिक्त व्यय होने की संभावना के कारण

स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने के लिए खर्च किया गया।

4. 12,000 रु. कमाई के नुकसान के कारण.

5. उसके बेटे-बेटियों को हुए नुकसान के कारण 3,000 रु

उस पर उनकी निर्भरता.

6. 29,000 रु. दर्द और पीड़ा के लिए.

(2) दुर्भाग्य से मुकदमे के दौरान, 10 सितंबर, 1978 को उनकी मृत्यु हो गई और उनके तीन बेटों और दो बेटियों ने दावेदार के रूप में शामिल होने के लिए 15 नवंबर, 1978 को आवेदन

किया। इस आवेदन का विरोध किया गया और यह तर्क दिया गया कि कार्रवाई का कारण मृतक का व्यक्तिगत होने के कारण उसकी मृत्यु के बाद जीवित नहीं रहा। इस याचिका को ट्रिब्यूनल ने कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड बनाम भूपिंदर सिंह और अन्य में इस न्यायालय के एकल पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए बरकरार रखा था, (1) और 1 दावा याचिका खारिज कर दी गई थी, - आदेश दिनांक 111 जून, 11979 के तहत।

(3) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अशोक अग्रवाल ने ऐसा नहीं किया

जहां तक दर्द और पीड़ा का दावा था, इस पर गंभीरता से विवाद है

चिंतित है कि यह घायल की मृत्यु पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अन्य शीर्षकों के तहत दावे का सम्मान करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि यह संपत्ति के नुकसान से संबंधित है, मुकदमा करने का अधिकार घायल की मृत्यु पर समाप्त नहीं होगा और उसके कानूनी प्रतिनिधियों के पास रहेगा। हालाँकि ऊपर उल्लिखित निर्णय तथ्यों के आधार पर अलग-अलग था, फिर भी प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे एक बड़ी पीठ के पास आधिकारिक निर्णय के लिए भेजा और इस तरह यह संदर्भ हमारे सामने आया है।

(4) शुरुआत में हम देख सकते हैं कि उत्तरदाताओं की ओर से पेश विद्वान वकील श्री वी.पी. गांधी ने बहुत ही निष्पक्षता और स्पष्टता से स्वीकार किया कि यदि दावे का कोई भी हिस्सा नुकसान से संबंधित है जो मृतक की संपत्ति को प्रभावित करता है तो कार्रवाई का कारण बना रहेगा। और मृतक के उत्तराधिकारी कानूनी प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने और याचिका के साथ आगे बढ़ने के हकदार होंगे। फिर भी हमें अपने कारणों को दर्ज करना चाहिए और उन मामलों को अलग करना चाहिए जिन पर या तो प्रतिवादी या ट्रिब्यूनल के विद्वान वकील ने यह मानने के लिए भरोसा किया था कि वर्तमान मामले में मुकदमा करने का अधिकार मृतक की मृत्यु के बाद नहीं बचा है।

(5) कलकत्ता इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में (सुप्रा) मृतक ने दावा किया था

रुपये की राशि. दुर्घटना में लगी चोटों के परिणामस्वरूप उन्हें हुई शारीरिक और मानसिक पीड़ा के लिए 20,000 रु. ए. डी. कोशल, जे. (क्योंकि तब वह धारा 306 पर भरोसा कर रहे थे, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम ने माना कि मुकदमा करने का अधिकार कानूनी उत्तराधिकारियों के पास नहीं है, दावा मृतक का व्यक्तिगत था। कहा गया

धारा 306 इस प्रकार है:-

“किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके पक्ष में या उसके खिलाफ मौजूद किसी भी कार्रवाई या विशेष कार्यवाही पर मुकदमा चलाने या बचाव करने, उसके निष्पादकों या प्रशासकों के खिलाफ जीवित रहने के लिए सभी अधिकारों की मांग की जाती है; भारतीय दंड संहिता में परिभाषित मानहानि, हमले, या अन्य व्यक्तिगत चोटों के लिए कार्रवाई के कारणों को छोड़कर

जो पार्टी की मृत्यु का कारण नहीं बनते; और ऐसे मामलों को छोड़कर जहां पक्ष की मृत्यु के बाद, मांगी गई राहत का आनंद नहीं लिया जा सकता था या इसे देना निरर्थक होगा।

अनुभाग के एक साधारण अवलोकन से पता चलता है कि व्यक्तिगत चोटों के लिए कार्रवाई, मृत्यु का कारण बनने से कम, हिरासत में लिए गए व्यक्ति या घायल की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है और कानूनी उत्तराधिकारियों तक जीवित नहीं रहती है। जैसा कि विद्वान न्यायाधीश के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या शारीरिक और मानसिक पीड़ा का दावा घायल की मृत्यु पर जीवित रहेगा जैसा कि उक्त धारा के प्रावधानों के तहत सीधे तौर पर कवर किया गया है, यह सही माना गया कि यह कानूनी उत्तराधिकारियों तक जीवित नहीं रहेगा। इसी तरह, सी. आई. कंडास्वामी और अन्य बनाम मारियाप्पा स्टोर्स और अन्य में। (2) पर भरोसा किया

प्रतिवादी के विद्वान वकील के अनुसार, मुआवजे का दावा दावेदार को लगी व्यक्तिगत चोटों के आधार पर किया गया था और मद्रास उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने सही माना था कि घायल की मृत्यु के बाद मुकदमा करने का अधिकार कानूनी प्रतिनिधियों के पास नहीं रहता है।

(6) प्रश्न कोंगारा नारायणम्मा और अन्य बनाम उप्पला चीन सिम्हाचलम और अन्य में ए. वी. कृष्णा राव, जे. के समक्ष सीधे विचार के लिए आया। (3) जिसने निम्नलिखित शर्तों में मृतक की संपत्ति के नुकसान के लिए दावा किए गए नुकसान के लिए कार्यवाही जारी रखने के लिए मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकार को बरकरार रखा:

"जब कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 110-ए (एल) (ए) के तहत अपने द्वारा लगी चोटों के संबंध में मुआवजे का दावा करता है, तो मुआवजे का दावा न केवल शारीरिक चोट के संबंध में किया जा सकता है, बल्कि किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा के संबंध में भी किया जा सकता है। इलाज आदि पर होने वाला खर्च। वह दुर्घटना के परिणामस्वरूप संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुआवजे का दावा भी कर सकता है। यदि कुछ वस्तुओं के संबंध में दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में कहा जा सकता है कि इससे घायल व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान हुआ है, तो कानून या मोटर वाहन अधिनियम की धारा 110-ए (1) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दावा करने पर रोक लगाता हो। उस संबंध में मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में, मेरी राय है कि मैक्सिम एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना को लागू नहीं किया जा सकता है, यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप चोट लगने के बजाय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कानून के तहत कानूनी प्रतिनिधि मृतक की संपत्ति के नुकसान के लिए मुआवजे का दावा कर सकते हैं। यदि किसी घायल व्यक्ति द्वारा उन वस्तुओं के संबंध में मुआवजे के लिए कोई कार्रवाई शुरू की जाती है, जिसमें उसकी संपत्ति को नुकसान होता है, तो उसे कानूनी प्रतिनिधियों के पास क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। जब किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है?

हजारी और अन्य बनाम नेकी (मृत) में उनके कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य लोगों द्वारा, (4) मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधियों पर प्री-एम्प्शन के अधिकार के हस्तांतरण के सवाल से निपटने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे की व्याख्या की। धारा 306, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान और देखा गया कि यह धारा अधिकतम एक्टियो पर्सनैलिस मोरिटुर कम पर्सोना की योग्यता को इस हद तक व्यक्त करती है कि यह धारा इंगित करती है कि कार्रवाई के कारणों में से जो जीवित रहते हैं उनमें व्यक्तिगत प्रकृति के कुछ कार्य शामिल हैं जो कहने का आशय यह है कि अनुभाग द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर किए गए कार्यों के अलावा अन्य व्यक्तिगत कार्य। इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा के प्रावधान न केवल यह प्रदान करते हैं कि संपत्ति का अधिकार मृत वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगा, बल्कि इसमें स्पष्ट रूप से बाहर किए गए कार्यों को छोड़कर व्यक्तिगत प्रकृति के कुछ कार्यों को भी बचाया गया है। फिर, गिरिजन-अंदिनी देवी और अन्य बनाम बिजेंद्र नारायण चौधरी में, (5) दलील है कि खातों के प्रतिपादन का अधिकार

यह एक व्यक्तिगत दावा था और वादी की मृत्यु पर जीवित नहीं रहा, इसे खारिज कर दिया गया और कहावत, एक्टियो पर्सनलिस मोर्टुर कम पर्सोना के दायरे को इस प्रकार समझाया गया:

“हिसाब चुकाने का दावा कोई व्यक्तिगत दावा नहीं है। यह नहीं है

समाप्त हो जाता है क्योंकि जो पक्ष हिसाब का दावा करता है या जिस पक्ष को हिसाब देने के लिए कहा जाता है वह मर जाता है। कहावत 'एक्टियो पर्सनैलिस मोर्टुर कम पर्सोना' एक व्यक्तिगत क्रिया है जिसके साथ व्यक्ति मर जाता है, इसका सीमित अनुप्रयोग होता है। यह एक सीमित श्रेणी की ओएल कार्रवाइयों में संचालित होता है, जैसे मानहानि, हमले या अन्य व्यक्तिगत चोटों के लिए क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई, जो पार्टी की मृत्यु का कारण नहीं बनती है, अन्य कार्यों में जहां पार्टी की मृत्यु के बाद दी गई राहत का आनंद नहीं लिया जा सकता है या प्रदान नहीं किया जा सकता है। यह निरर्थक होगा. खाते के लिए कार्रवाई, खाते के लिए कार्रवाई नहीं है

पूर्व डेलिक्टो को नुकसान पहुंचाता है और प्रगणित वर्गों में नहीं आता है। न ही ऐसा है कि जिस राहत का दावा व्यक्तिगत होने के कारण किया गया है उसका आनंद मृत्यु के बाद नहीं लिया जा सकेगा, या इसे देना निरर्थक होगा। इसलिए, प्राप्त संपत्ति का दोबारा हिसाब-किताब करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की मृत्यु से उसकी संपत्ति के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।"

इसलिए, धारा 306, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और कहावत "एक्टियो पर्सनलिस मोरिटुर कम पर्सोना" के प्रावधानों का दायरा अच्छी तरह से तय हो गया है और घायल की संपत्ति के नुकसान के कारण नुकसान का दावा कम नहीं होगा। उनकी मृत्यु। परिणामस्वरूप यह अपील लागत सहित स्वीकार की जाती है और विवादित आदेश उलट दिया जाता है। मामला अब कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए ट्रिब्यूनल में वापस जाएगा।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अमित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूह, हरियाणा